



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227984
CG-DL-E-29062021-227984

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2427]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/आषाढ़ 8, 1943

No. 2427]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2021/ASHADHA 8, 1943

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2021

का.आ. 2618(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त दूसरी अनुसूची में, “मध्यप्रदेश” शीर्षक के अधीन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर संबंधी क्रम संख्यांक 10 छ और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“ 10 ज मध्यप्रदेश चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश ।	(क) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी-मटेरिया मेडिका	एम.डी.(होम्यो.) (मेट.मेडी.)	जुलाई, 2020 से दिसंबर, 2020 तक – यदि उन छात्रों को प्रदान की गई है जिन्होंने शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, भोपाल, मध्यप्रदेश से उक्त अवधि के दौरान उत्तीर्ण होकर निकले
	(ख) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी-होम्योपैथिक फिलॉसफी	एम.डी.(होम्यो.) (होम्यो.फिल.)	
	(ग) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी - रिपोर्टरी	एम.डी.(होम्यो.) (रिप.)	
	(घ) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी -प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन	एम.डी.(होम्यो.) (मेडि.)	
	(ङ) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन	एम.डी.(होम्यो.)	

होम्योपैथी – पेडियाट्रिक्स	(पेडि.)	हो”
(च) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी – साइकेट्री	एम.डी.(होम्यो.) (साइके.)	
(छ) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी- होम्योपैथिक फार्मेसी	एम.डी.(होम्यो.) (होम्योपैथिक फार्मेसी)	

(फा.सं. आर-14011/1/2021- ई. पी. (II)

पी. एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी— होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की दूसरी अनुसूची का पहली बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3496, तारीख 11 अक्तूबर, 1977 और अंतिम संशोधन का.आ. संख्यांक 2011 (अ), तारीख 23 मई, 2021 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2021

S.O. 2618(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the said Second Schedule, under the heading ‘Madhya Pradesh’, after serial number 10 G relating to Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4
“10 H. Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur, Madhya Pradesh.	(a) Doctor of Medicine in Homoeopathy-Materia Medica	M.D.(Hom.) (Mat. Med.)	From July, 2020 to December, 2020, if granted to the students who have passed out during the said period from Govt. Homoeopathic Medical College and Hospital, Bhopal, MP.”.
	(b) Doctor of Medicine in Homoeopathy-Homoeopathic Philosophy	M.D. (Hom.) (Hom. Phil.)	
	(c) Doctor of Medicine in Homoeopathy-Repertory	M.D.(Hom.) (Rep.)	
	(d) Doctor of Medicine in Homoeopathy-Practice of Medicine	M.D.(Hom.) (Med)	
	(e) Doctor of Medicine in Homoeopathy- Paediatrics	M.D.(Hom.) (Paed)	
	(f) Doctor of Medicine in Homoeopathy- Psychiatry	M.D.(Hom.) (Pysch.)	
	(g) Doctor of Medicine in Homoeopathy- Homoeopathy Pharmacy	M.D.(Hom.) (Homoeopathic Pharmacy)	

[F. No. R-14011/1/2021-EP-III]

P.N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Foot note:—The Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) was first amended *vide* notification number S.O.3496, dated the 11th October, 1977 and last amended *vide* notification number S.O. 2011 (E), dated the 23rd May, 2021.